पत्र संख्या–सम्पत्ति/किराया सेल/भ0प0–टावर/ 120 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उ0प्र0
(सम्पत्ति/किराया सेल)
लखनऊ::दिनांक:: 16 :::जून, 2017

समस्त आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–प्रदेश में किराये के भवनों में टावर लगाये जाने हेतु देय किराये के औचित्य में एकरूपता के सम्बन्ध में।

दिनांक 01 जुलाई 2017 से प्रदेश में जी0एस0टी0 व्यवस्था लागू होने के दृष्टिगत नेटवर्किंग कनेक्टिविटी हेतु समस्त विभागीय कार्यालय भवनों एवं किराये के भवनों में संचालित हो रहे कार्यालयों में **"आर0एफ0"** टावर एवं ओ0एफ0सी0 केबल लगाये जाने का कार्य किया जा रहा है।

किराये के भवनों में संचालित हो रहे कार्यालयों में लगाये जा रहे टावरों के सम्बन्ध में प्रायः यह देखा जा रहा है कि परिक्षेत्र/मण्डल कार्यालयों से बिना किसी मानक के भवन स्वामियों द्वारा मांगे गये टावर के किराये के प्रस्ताव को मुख्यालय भेजा जा रहा है । किराये के भवनों में टावर लगाये जाने हेतु देय किराये के औचित्य में एकरूपता होना अपरिहार्य है।

अतः इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि भवन स्वामियों से टावर के किराये के औचित्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय से टावर के किराये हेतु टावर का किराया औचित्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे भवन स्वामी एवं विभाग के मध्य टावर के किराये के भुगतान की धनराशि को लेकर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।

यह पत्र कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त प्रेषित किया जा रहा है।

(अनूप कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः–समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।